प्रेस विज्ञप्ति
25/11/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स जेड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेडईपीएल) और अन्य के खिलाफ की जा रही जांच के सिलसिले में 22.11.2024 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत ओडिशा, दिल्ली और गुरुग्राम में 09 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान जिन स्थानों को कवर किया गया, उनमें मेसर्स जेडईपीएल और इसकी साझेदारी वाली कंपनी मेसर्स जेड हर्षप्रिया के निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों के कार्यालय और आवासीय परिसर शामिल थे।

ईडी ने मेसर्स जेडईपीएल के खिलाफ फेमा, 1999 के तहत उल्लंघन के लिए जांच शुरू की है। यह जांच विदेश में स्थापित और स्थित विदेशी संस्थाओं के माध्यम से फंड की राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से विदेश से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के संबंध में की गई है। विदेशी निवेश प्राप्त करने में संदिग्ध उल्लंघनों के आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस तरह के निवेश के बदले विदेशी संस्थाओं को इक्विटी शेयर और प्रीमियम शेयर जारी किए गए। ईडी को संभावित हवाला लेनदेन और विभिन्न विदेशी संस्थाओं के माध्यम से मेसर्स जेडईपीएल को विदेशों से फंड की राउंड ट्रिपिंग का संदेह है।

तलाशी के परिणामस्वरूप, मेसर्स जेडईपीएल द्वारा प्राप्त विदेशी निवेश के संबंध में विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ 1.39 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद की गई और जब्त की गई।